भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4940

(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत लाभार्थियों की पहचान

4940. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में नौकरशाही की अक्षमताओं, भ्रष्टाचार और धन के गलत आवंटन को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार लाभार्थियों की सही पहचान और समय पर लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार उपाय कर रही है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना को नरेगासॉफ्ट नामक एक संपूर्ण एकीकृत लेन-देन आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म पर कार्यान्वित किया गया है। इसके माध्यम से योजना की आयोजना , प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति से संबंधित सभी पहलुओं, जॉब कार्ड जारी करने, मांग की स्वीकृति, मस्टर रोल जारी करने, कार्य का माप, भुगतान की स्वीकृति और अंत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान की निगरानी की जाती है।

इस योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया अपनाई है। इस योजना के तहत जारी की गई निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई निगरानी और मूल्यांकन की विभिन्न व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4940 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

i. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली अपनाई गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के बैंक/डाकघर खातों में मजदूरी का भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस)/इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के माध्यम से किया जाता है।

ii. **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस):** यह महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) पर श्रमिकों की उपस्थिति को जियो-टैग्ड फोटोग्राफ के साथ दिन में दो बार दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह ऐप कार्यक्रम पर नागरिक निगरानी बढ़ाने में सहायता करता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक और कदम है।

iii. **क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरा एप्लिकेशन:** यह ऐप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को अपने क्षेत्रीय दौरे के जांच-परिणामों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप अधिकारियों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्प्ड और जियोटैग्ड फोटोग्राफ रिकॉर्ड करने की भी सुविधा देता है। इसके अलावा, यह ऐप कार्यस्थल के दौरे की बाधारहित रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। यह ऐप क्षेत्रीय दौरे के जांच-परिणामों को रिकॉर्ड करता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे के परिणाम की रिपोर्ट को देखा जाता है।

iv. **जीआईएस आधारित योजना- अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग:** देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए संतृप्ति मोड में रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करके जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (रिज टू वैली अप्रोच) तैयार करना।

v. **युक्तधारा : जीआईएस आधारित योजना उपकरण –** महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए इसरो - एनआरएससी के सहयोग से भू-स्थानिक योजना पोर्टल "युक्तधारा" बनाया गया है।

vi. **सिक्योर- रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने के लिए अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर :-** इस एप्लीकेशन का उपयोग योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की लागत की गणना का अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है।

vii. **जियो नरेगा**: इस ऐप को अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है ताकि परिसंपत्ति निर्माण के "पहले", "निर्माण के दौरान " और "निर्माण के बाद " चरणों में इसे जियोटैगिंग करके परिसंपत्तियों के निर्माण को ट्रैक किया जा सके।

viii. **जलदूत ऐप:** देश भर में भूजल स्तर की निगरानी के लिए जलदूत ऐप बनाया गया है। जलदूत ऐप ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद) चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम बनाता है।

ix. **जनमनरेगा ऐप :** यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में नागरिकों के लिए सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण में मदद करता है। नागरिक जागरूकता योजना के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन की कुंजी है।

x. **लोकपाल ऐप-** महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों जैसे भौतिक, डिजिटल और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण, दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर आसानी से नज़र रखने और समय पर निर्णय पारित करने तथा वेबसाइट पर तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट आसानी से अपलोड करने के लिए एक लोकपाल ऐप बनाया गया है।

xi. **सामाजिक लेखा परीक्षा :** अधिनियम के अधिदेश के अनुसार , मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष में कम से कम दो बार सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एक संस्थागत संरचना की स्थापना पर जोर दिया है। मंत्रालय के लगातार प्रयासों से कुल 27 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित की हैं।

इसके अलावा, कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियमित और विशेष निगरानी, केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की टीम द्वारा निगरानी , सामान्य समीक्षा मिशन टीमों द्वारा निगरानी दौरे, क्षेत्र अधिकारी ऐप के उपयोग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ ही समय-समय पर राज्यों की राज्य-विशिष्ट समीक्षा भी की जाती है।

*****